पत्र संख्या:- 14/सै-7-0-111/97-612/रा0

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी समाहर्त्ता/ उपायुक्त ।

पटना, 15, दिनांक 18-9-97

विषय:- सभी प्रकार के सैरातों (यथा जलकर, फलकर, हाट, बाजार, मेला, घाट एवं बस स्टैण्ड आदि) के सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु सरकारी परिपत्र के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महाशय;

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्नों जिलों से प्राप्त बन्दोबस्ती प्रस्ताव में सुरक्षित जमा का निर्धारण सरकारी परिपत्र के आलोक में नहीं कर भिन्न- भिन्न प्रकार से किया जा रहा है जिससे बन्दोबस्ती की स्वीकृति देने में सरकार को काफी कठिनाई हो रही है । साथ ही उससे सरकारी राजस्व की क्षति भी होती है । राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या- 2 रा0 दिनांक 8-1-82 में सरकार का स्पष्ट निदेश है कि सुरक्षित जमा तीन वर्षों पर निर्धारित की जायेगी, जिसमें विगत वर्ष की सुरक्षित जमा राशि/ बन्दोबस्ती राशि जो भी अधिक हो उसमें 15 % की वृद्धि कर की जायेगी ।

अत: इस सम्बन्ध में पूर्व के परिपत्र संख्या- 2 रा0 दिनांक 8-1-82 की प्रतिलिपि पुन: संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सभी प्रकार के सैरातों की सुरक्षित जमा के निर्धारण में उक्त परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से किया जाय ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी तद्नुसार संसूचित करने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुरेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव ।

338

पत्र संख्या- 14/सै -2-0-33/81-2 रा0
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष बैठा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त/ सभी समाहर्त्ता ।

पटना, दिनांक 8-1-82

विषय :- सभी प्रकार के सैरातों (पैरेनियल, नन पेरेनियल एवं मछली -सह-मखाना) की बन्दोबस्ती के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक -261 रा0 दिनांक 12-2-81 के क्रम में मुझे सूचित करना है कि उक्त पत्र में सुरक्षित जमा के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत निदेश, में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किया जाता है :-

सुरक्षित जमा का निर्धारण करने में जलकरों से विकास एवं मछली की बढ़ती हुई कीमत को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षित जमा तीन वर्ष पर निर्धारित की जायगी ,परन्तु यह सुरक्षित जमा की राशि किसी भी हालत में विगत वर्ष की सुरक्षि राशि / बन्दोबस्ती की राशि ,जो भी अधिक हो से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत अधिक से कम नहीं होगी ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(रामवृक्ष बैठा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 2 रा0, दिनांक 8-1-82

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमण्डलाधिकारी/ सभी भूमि सु उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(रामवृक्ष बैठा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 2 रा0 / दिनांक 8-1-82

प्रतिलिपि सहकारिता विभाग/ पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(रामवृक्ष बैठा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

of Audit Register.
लेखा-परीक्षा रजिस्टर के पृ०
Noted on page